न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 05/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली		लक्ष्मणराम पुत्र मालाराम सीरवी निवासी 79, अपना विजय नगर, पाली जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री श्याम पंचारिया अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 12/10/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उसके गैराज 79, अपना विजय नगर, पाली, जिला पाली (राज.) से वक्त निरीक्षण दिनांक 25.04.2017 को मौके पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक भार 14.2 किग्रा) जिनमें 4 एच.पी. कम्पनी (जिनमें तीन में क्रमशः 14.400 किग्रा, 14.100 किग्रा, 13.00 किग्रा गैस भरी हुई व एक खाली) व 2 इन्डेन कम्पनी (जिनमें क्रमशः 0.500 व 0.200 किग्रा गैस भरी हुई), 3 रबर ट्यूब मय रेग्यूलेटर, 1 गैस भरने वाली मोटर मय रबर ट्यूब नली रेग्यूलेटर व 1 पुरानी जंग लगी मोटर व 3 पीतल की नलियां एवं एक गैस डायरी का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग व अवैध रिफिलिंग किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी बार–बार अवाजे लगाई जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 25.04.2017 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु वह मय जिला रसद अधिकारी श्री विनय कुमार शर्मा के साथ पाली शहर स्थित अप्रार्थी के गैराज 79, अपना विजय नगर, पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री लक्ष्मणराम पुत्र मालाराम सीरवी उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही गैराज का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री चैनराज पुत्र प्रेमजी निवासी 17, स्वामी दयानंद नगर, पाली व श्री पुखराज उपाध्याय पुत्र बाबुलाल निवासी 43–ए, सुन्दर नगर, पाली की उपस्थिति में गैराज की जांच करने पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक भार 14.2 किग्रा) जिनमें 4 एच.पी. कम्पनी (जिनमें तीन में क्रमशः 14.400 किग्रा, 14.100 किग्रा, 13.00 किग्रा गैस भरी हुई व एक खाली) व 2 इन्डेन कम्पनी के (जिनमें क्रमशः 0.500 व 0.200 किग्रा गैस भरी हुई), 3 रबर ट्यूब मय रेग्यूलेटर, 1 गैस भरने वाली मोटर मय रबर ट्यूब नली रेग्यूलेटर व 1 पुरानी जंग लगी मोटर व 3 पीतल की नलियां तथा एक गैस डायरी बी.के. एन्टरप्राइजेज इण्डेन गैस डिस्ट्रिब्यूटर की जो श्री महेन्द्रकुमार निवासी 86, आदर्श नगर पाली के नाम की जिसके उपभोक्ता क्रमांक 4834, जो वह अपने यहां नहीं रख सकता है, पाये गये। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण अथवा बिक्री करने से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये तथा किसी प्रकार के दस्तावेज होने से इन्कार किया, न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया, न उसके दस्तावेज प्रस्तुत किए। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी द्वारा मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली के प्रतिनिधि श्री ताराचंद मीणा पुत्र चुन्नीलाल निवासी 16 बी विद्यानगर बांगड कॉलेज के पीछे पाली को सुपर्दगी में दिए गए।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मोबाईल से फोटोग्राफ लिए जो पत्रावली संलग्न है। फोटोग्राफ से गैराज में इतनी संख्या में सिलेण्डर पाया जाना उनमें गैस होना एवं रिफिलिंग के उपयोग में ली जाने वाली पीतल की 3 नलियां रबर ट्यूब एवं मोटर रग्यूलेटर आदि का पाया जाना यह स्वतः सिद्ध करते है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करता था एवं मौके से सिलेण्डर व उल्लेखित नलियां रेग्यूलेटर मोटर आदि कब्जे में लिए जाकर परिवाद बनाकर पेश किया गया है। जैसा कि अप्रार्थी ने जवाब में उल्लेख किया है। अप्रार्थी के घर में गृहप्रवेश जैसा अवसर दिनांक 25.04.2018 को वक्त जांच नहीं था। अप्रार्थी की स्वयं के नाम कनेक्शन की टंकिया भी अपने व्यावसायिक परिसर गोदाम पर रखना विधी सम्मत नहीं माना जा सकता। किसी व्यक्ति को घरेलू उपयोग के अलावा शादी, गृह प्रवेश आदि मौके पर मेहमानों के भोजन में उपयोग लेना विधी सम्मत नहीं माना जा सकता है न ही आज तक विधिक दस्तावेज अथवा शपथ पत्र साक्ष्य आदि एक वर्ष छः माह व्यतीत होने के पश्चात भी पेश किए गए है। अप्रार्थी के विरूद्ध एक अन्य प्रकरण 6 ए के तहत दिनांक 27.04.2018 को पंजीबद्ध कराया गया है। जिसमें 5 सिलेण्डर कब्जे में लिए गए है। जिसके प्रकरण संख्या 05/2018 है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रार्थी आदतन घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से संग्रहण कर रिफिलिंग के उपयोग में लाया जाना सिद्ध है। फलस्वरूप द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 ए.सी. की अप्रार्थी द्वारा अवहेलना किए जाने से उपरोक्त जब्त सुदा सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी का गैराज एवं मकान एक ही है जिसमें वह ट्रेक्टर ठीक करने का काम करता है तथा दिनांक 25.04.2017 को उसके रहवासीय मकान का गृहप्रवेश था। इस निमित अप्रार्थी के यहां करीब 200–300 व्यक्तियों के भोजन का कार्यक्रम था। इस हेतु वह अपने रिश्तेदारों से गैस के सिलेण्डर मांगकर लाया तथा दो उसके स्वयं के एच.पी. कम्पनी के सिलेण्डर थे, जो प्रार्थी द्वारा जब्त कर लिए गए। दिनांक 22.04.2017 को माधव नाम का व्यक्ति अप्रार्थी की अनुपस्थित में उसके गैराज पर उसकी विकलांग पुत्री को एक मोटर दुरस्त करने हेतु रख कर गया था क्योंकि अप्रार्थी पूर्व में इलेक्ट्रीक मोटर तैयार करने का काम करता था, अतः जब्त मोटर उसकी न होकर उसके ग्राहक की है। अप्रार्थी से प्राप्त गैस डायरी उनके जानकार श्री महेन्द्र कुमार ओझा की जो पुना में निवासरत है तथा कभी कभार ही पाली आते है तथा जब भी वे पाली आए तो उनको कोई असुविधा न हो इसलिए उनकी डायरी व गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के पास ही रहते है। अप्रार्थी ट्रेक्टर रिपेयर करके अपनी जिविकोपार्जन करता है, वह अवैध गैस रिफिलींग का कार्य नहीं करता है न ही उसे अवैध घरेलू गैस बेचाण करते हुए पकड़ा गया है। ऐसी स्थिति में जवाब के कथनों एवं दस्तावेजों के आधार पर साक्ष्य पेश किए जाने वाले सबूतों व शपथ पत्रो व गैस डायरियों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर टंकिया जो मांगकर लाई गई है, उनके मालिकों को सुपुर्द किया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी क विरूद्ध प्रकरण दिनांक 28.04.2017 को दर्ज किया जाकर नोटिस तलब किया गया। जो दिनांक 11.05.2017 को नोटिस तामील होने पर उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। उनको परिवाद की प्रति भी उसी दिवस को दी गई। तत्पश्चात दिनांक 14.12.2017 तक 7 अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तब पत्रावली जवाब व बहस दोनों हेतु नियम कर 9 अवसर मिलने के बाद मात्र जवाब पेश किया, जिसके साथ किसी प्रकार के साक्ष्य, सबूत, अप्रार्थी के निर्दोष होने बाबत अथवा घरेलू गेस का व्यावसायिक उपयोग में नहीं लेने बाबत प्रस्तुत नहीं किया

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

गया एवं वक्त सुनवाई उनके अधिवक्तागण बार–बार आवेजे लगाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में सरकारी पैरोकार की बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय लिया गया।

अप्रार्थी के जवाब अनुसार ट्रेक्टर रिपेयर का कार्य गैराज में करता है, जो एक व्यावसायिक परिसर है एवं घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायकि परिसर में रखने का औचित्य अप्रार्थी अपने जवाब व पत्रावली में स्पष्ट नहीं कर पाया। प्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके फोटाग्राफ लिए गए, जो पत्रावली संलग्न है। उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि गैराज के पास कार खड़ी है ट्रेक्टर नहीं एंव गैराज में छः घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस रिफिलिंग नलियां, रेग्यूलेटर, मोटर एवं बाहर कार खडी होना यह सिद्ध करने के लिए प्रर्याप्त है कि अप्रार्थी कारों में गैस रिफिलिंग का कार्य करता है। अप्रार्थी के गैराज में छः घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें चार एच.पी. कम्पनी के व दो इण्डेन कम्पनी के जिनकी एल.पी.जी. उपदर्शित मानक क्षमता 14.200 किग्रा है। एच.पी. कम्पनी के चार सिलेण्डरों में तीन में कमशः 14.400 किग्रा, 14.100 किग्रा व 13 किग्रा गैस भरी हुई पाई गई तथा एक सिलेण्डर खाली पाया गया एवं इण्डेन के दो गैस सिलेण्डरों में कमशः 0.500 किग्रा व 0.200 किग्रा गैस पाई गई तथा इसके अलावा मोटरे, रबड की नलियां व पीलत की नलियां भी पाई गई। जिनको कब्जे में लिया गया। मौके पर वक्त जांच अप्रार्थी से मांगने के उपरान्त भी विधिक दस्तावेज संग्रहण/कनेक्शन बाबत उपलब्ध नहीं करवाए गए न ही ऐसा दस्तावेज होना जाहिर किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में स्वयं स्वीकार किया गया है कि सिलेण्डर दुसरों के है। इस प्रकार दुसरों के सिलेण्डर प्रार्थी के गैराज में संग्रहण कर रखना भी विधि सम्मत नहीं है न ही किसी बाहर रहने वाले व्यक्ति के घरेलू गैस कनेक्शन का उपयोग अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना विधि सम्मत है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अवैध घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करने का अभ्यस्त है। जो अप्रार्थी के विरूद्ध इसी न्यायालय में आज इस प्रकरण के अलावा एक अन्य प्रकरण 05/2018 भी वास्ते बहस में नियत होने से स्पष्ट है। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी श्री लक्ष्मणराम द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा अन्य जब्त सुदा सामग्री को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने गैराज पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिनमें 4 एच.पी. कम्पनी जिनमें तीन में क्रमशः 14.400 किग्रा, 14.100 किग्रा, 13.00 किग्रा गैस भरी हुई व एक खाली व इन्डेन कम्पनी के 2 घेरलू गैस सिलेण्डर जिनमें क्रमशः 0.500 व 0.200 किग्र गैस भरी हुई, 3 रबर ट्यूब मय रेग्यूलेटर, 1 गैस भरने वाली मोटर मय रबर ट्यूब नली रेग्यूलेटर व 1 पुरानी जंग लगी मोटर व 3 पीतल की नलियां पायी गयी को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को तथा 3 रबर ट्यूब मय रेग्यूलेटर, 1 गैस भरने वाली मोटर मय रबर ट्यूब नली रेग्यूलेटर व 1 पुरानी जंग लगी मोटर व 3 पीतल की नलियां को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि समस्त राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली